

3.55 hrs.

COAST GUARD BILL—Contd.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri Sher Singh on the 16th August 1978, namely:—

“That the Bill to provide for the constitution and regulation of an Armed Force of the Union for ensuring the security of the maritime zones of India with a view to the protection of maritime and other national interests in such zones and for matters connected therewith, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”

Shrimati Chandravati to continue.
You have got three minutes more.

श्रीमती चन्द्रावती (पिबानी): मैडम चेर-मैन, मैं कल आपको तस्करी के बारे में बता रही थी कि हम चाहे कितना ही अच्छा कानून क्यों न बनायें, लेकिन जिस ढंग से कानून का इम्प्लीमेंटेशन होता है, वह प्राज भी उसी तरह से हो रहा है, जैसे किसी वक्त मनु ने जो कानून बनाया था कि बर्ग के हिसाब से अगर दो बर्ग के प्रादमी एक ही तरह का अपराध करते हैं तो उनको एक तरह की सजा नहीं मिलती, दो तरह की सजा मिलती है। अगर छोटा प्रादमी अपराध करता है, छोटी चोरी करता है तो उसको घसीट कर ले जाया जायेगा और उसको सजा दी जायेगी, लेकिन अगर बड़ा प्रादमी करता है, चाहे आर्थिक अपराध समन्वय का हो या तस्करी का हो, रिश्वत का हो या किसी तरह की खरीदोफरोक्त के मामले में कमीशन का हो, या कट्टे की कुछ चीजें हों तो उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। रिश्वत या आर्थिक अपराध हर बड़ा प्रादमी करता है, उसमें पोलिटिशियन भी हैं और ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। मैं मानती हूँ कि अपराधी बड़े बिजनेस मैनेजर्स भी हैं जो सब की कोषो इन्डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं और हमारे पोलिटिशियन्स और ब्यूरोक्रेट्स उन अपराधियों को पनाह देने हैं, उनसे हिस्सा लेते हैं। अगर ब्यूरोक्रेट्स और पोलिटिशियन्स साफ हो जायें तो मैं समझती हूँ कि जो कानून हम बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई असुविधा नहीं होगी, नहीं तो चाहे हम कितने ही अच्छे कानून बना लें, उनको इम्प्लीमेंट करने में हमेशा असुविधा होती है। क्योंकि जो इम्प्लीमेंट करते हैं, वही उन लोगों को जो अपराध करते हैं, बचाने में लग जाते हैं।

MR. CHAIRMAN: One minute more.

श्रीमती चन्द्रावती: मैडम चेर-मैन, मुझे थोड़ा अधिक समय दीजिए।

MR. CHAIRMAN: In the very beginning I told you three minutes. Please conclude now. You had three minutes yesterday.

श्रीमती चन्द्रावती: लेकिन मैं इन तीन मिनट में तो कुछ नहीं बोल सकूंगी मुझे कुछ सुझाव भी देने हैं। और,

तो एक बात मैं आपको कह रही थी कि किस तरह से कहीं तूफान आते हैं या बाढ़ आती है, उसके बारे में हम पहले से सोचते नहीं हैं, जब एकदम यह आ जाते हैं और बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, तब उसके बारे में सोचते हैं।

MR. CHAIRMAN: Confine yourself to the Bill.

श्रीमती चन्द्रावती: पीछे हम संभ्रामन गये थे। हमारी सुरक्षा की दृष्टि से संभ्रामन एक बहुत उपयुक्त टापू है। लेकिन वहाँ प्रावागमन के जो साधन होने चाहिए, वे बड़ा नहीं हैं। बल्कि मैं कहूंगी कि वे विस्कूल इनसफ़िसेंट हैं। उस टापू के इर्द-गिर्द मछलियां बहुत पाई जाती हैं।

MR. CHAIRMAN: Perhaps you were not present when the Member from Andamans spoke in detail about the problems of Andamans. You are taking the time of the House in repetition.

SHRIMATI CHANDRAVATI: Let me say....

MR. CHAIRMAN: Please do not take the time of the House repeating all those points.

SHRIMATI CHANDRAVATI: Let me speak what I want to speak. It is within my right.

MR. CHAIRMAN: There is also the question of time limit. Others have spoken within the time limit. Kindly confine yourself the time limit.

SHRIMATI CHANDRAVATI: If you go on interrupting, how can I speak?

MR. CHAIRMAN: You have already taken more than the time allotted to you.

SHRIMATI CHANDRAVATI: But you have spoken more than me Madam.

MR. CHAIRMAN: I go according to the time allotted to Members. Now you continue.

श्रीमती चन्द्रावती : मैं कहना चाहती हूँ कि इस बिल की संज्ञा बहुत अच्छी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि हम अपने लम्बे समुद्र-तट की रक्षा कर सकें, जो दूसरे लोग हमारे समुद्र में देसपास करते हैं, जो इन्टरडर हैं, वे न भा सकें और हम अपने समुद्रीय पदार्थों को ठीक तरह से एक्सप्लायट कर सकें। हम अपने ही लोगों को एक्सप्लायट करते हैं, चाहे वे मछली पकड़ते हैं और चाहे अपना पैदा करते हैं। जो लोग कच्चा माल पैदा करते हैं, चाहे बह खाने का हो या पहनने का हो, उन का एक्सप्लायटेशन हो रहा है। लेकिन हमारे देश के रीसोर्सिज को बिदेशी लोग एक्सप्लायट करते हैं। तीस साल की आजादी के बाद भी हम अपने रीसोर्सिज को एक्सप्लायट नहीं कर पा रहे हैं।

इस लिए मैं प्रायः के द्वारा सरकार से कहना चाहती हूँ कि हम अपने समुद्र में पाये जाने वाले खनिज पदार्थों और बाघ पदार्थों को तभी एक्सप्लायट कर सकते हैं, जबकि हम अपने समुद्र पर पूरा अधिकार स्थापित कर सकें, और उसपर पूरा अधिकार तभी होगा, जब हम अपने कोस्ट को गार्ड करने की पूरा व्यवस्था कर सकेंगे, ताकि हमारे समुद्रीय क्षेत्र में कोई इन्टरडर न आ सके, कोई वहाँ देसपास न कर सके।

***SHRI S. G. MURUGAIYAN (Nagapattinam):** Hon. Madam Chairman, welcoming the Coast Guard Bill even though it has been introduced belatedly, I would like to say a few words.

I support this Bill because it fulfils the long-felt need of the country. This Bill seeks to set up a patrolling force to protect the 4000 miles of country's coast-line. It is not an exaggeration to say that there has also been erosion of our sovereignty in the absence of such an organisation which is entrusted with the duty of safeguarding the security of our land possessions.

It is estimated that there are about 3 crores of fishermen in our country living on the coast-line. I am sorry to say that these poor fishermen have been left to the tender mercies of Nature. All along they have been the

victims of vicious cyclones and sinister storms. They are always caught un-awares by the onrushing waves. Now that this Coast guard force is being set up, I suggest that this force must be given mobile communication sets and fast moving vehicles enabling them to inform these innocent fishermen about the cyclone warnings. I represent Nagapattinam coastal constituency. I am personally acquainted with the agony of these people. Last November there was a devastating cyclone which not only destroyed the habitations of these fishermen but also took away many hundreds of precious human lives. If only there had been such a patrolling force equipped with the necessary technical know-how, we could have saved many human lives and their humble belongings. I suggest that the Coast Guards must be made responsible for this humanitarian task also.

Secondly, I would like to point out that the livelihood of these fishermen all along the coast-line is being eroded slowly and steadily. The manually operated catamarans on which these fishermen go for fishing cannot by any stretch of imagination compete with power-driven mechanised boats employed by black-marketeers, smugglers etc. unauthorisedly and also by the multi-national companies which have been licensed to do deep-sea fishing. Here also the Coast Guard organisation must play a vital role in protecting the livelihood of these fishermen from these marauders engaged in self-aggrandisement.

Thirdly, since some battalions of Coast Guard would be located in the coastal States, and since they would be engaged in patrolling the coast-line of these States, it should be ensured that there is proper co-ordination and liaison with the State Police without whose cooperation and support the Coast Guards on their own will not be able to discharge their duties efficiently. For this purpose a high-level

*The original speech was delivered in Tamil.

Committee at the State level should be set up so that both these organisations work in unison in the interest of the security of the nation. I request that this suggestion should be borne in mind by the hon. Minister when the organisation is established.

Before I conclude, I am opposed to the death sentence provided for in the legislation for a recalcitrant guard. Many hon. members who preceded me referred to ceaseless efforts we are making for abolishing the death sentence. I suggest that life sentence may be substituted for death-sentence for a culprit coast guard.

I would like to point out that the Coast Guard should not be a subordinate organisation of our Navy. The Government should also not encourage deputationists from the Navy to this organisation. This should be an independent unit set up with new recruits with all their verve and enthusiasm. This organisation should also be equipped with mobile communication sets, power-driven boats, wireless sets and all the other necessary scientific equipment so that they discharge their duties efficiently and effectively. In the interest of rooting out smuggling on Nagapattinam Coast, the Customs force there must be supplied immediately with at least two mechanised boats.

14.00

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (PROF. SHER SINGH): Madam Chairman, I am extremely grateful to the hon. Members who participated in this discussion and, generally, welcomed the Bill. I am happy that all sections of this House welcomed this legislation.

I would like to make a brief reference to some of the points which were raised during the speeches by the hon. Members. The first point which was made by Mr. Manoranjan Bhakta was that he had some doubts whether, before we brought this Bill to form the

Coast Guard organisation, we had some discussion with the State Governments and Union territories. I may submit that over the last 16 months since the interim coast guard organisation came into existence, the Officer on Special Duty has been visiting the State capitals and meeting the Chief Minister and the Chief Secretaries of the affected States to find out their local problems within territorial waters so that plans could be prepared to cater to meet certain situations that were being experienced by the coastal States. So, it is not as if we have not discussed all those matters with the State Governments. In fact, for the last 16 months, we have been doing it.

The second point which was raised by you, Madam, in your speech was about the Coast Guard Organisation itself. You felt that it was not necessary to have a para-military force. But I may submit that the coast guard to be effective must be governed by a strict disciplinary code. It cannot work otherwise. Being a maritime force, we have to adopt some of the aspects of Navy. Because of this, we have to have a para-military force.

One point which was raised by almost all the members, and I share their concern, was about small fishermen. That was about Clause 14. The intention behind this Clause is, besides rendering assistance to fishermen, to protect them from harassment caused by foreign vessels. Fishing being a State subject, providing protection to fishermen from harassment caused by trawlers, etc., within the territorial waters will be dealt with by the State Governments concerned. However, there is a provision in Clause 121 of this Bill, under which the Central Government may, by general or special orders, direct, with the concurrence of the State Governments concerned, that any of the powers or duties which may be exercised or discharged under a State Act by a police officer may, subject to such conditions and limitations as may be specified in the order,

[Prof. Sher Singh]

be exercised or discharged by a member of the Coast Guard. Therefore, if at any time it is desired to avail of the services of a coast guard in matters exclusively in the domain of the States, the provisions of this Clause can be invoked.

I may further add that the Ministry of Agriculture, in consultation with the State Governments, is considering the question of delimiting the fishing zones. Several meetings of the Central and State Government officials have been held on the subject of fishing in the territorial waters. In fact, some thought is being given to enact a legislation to regulate fishing in the territorial waters, and the Coast Guard could be one of the agencies to render assistance in this matter.

I may also add that we have come across various instances when fishermen have been in distress due to inclement weather or rigours of the sea. On these occasions, the Indian Navy has been rendering all possible assistance—whenever any request has been made to the Central Government. The Indian Navy has been maintaining a very close liaison with the maritime States with a view to ensuring all possible assistance to the fishermen in distress for one reason or another. Likewise, the Coast Guard will also be in constant touch with the State Governments to ensure that all possible assistance is rendered to the fishermen warranting assistance from this agency.

The Government is fully aware of the difficulties being experienced by small fishermen. Whenever the occasion demands, the Coast Guard will be directed to render all possible assistance it is capable of. The interim Coast Guard has on several occasions come to the rescue of fishermen in Tamil Nadu and Kerala. The Coast Guard is maintaining a very close liaison with the various State Governments. We are locating Coast Guard Districts in all coastal States—one in each coastal State. We will have a continuous liaison, and all the

problems of fishermen will be attended to by the Coastal Guard when it is called upon to do so.

Another point which was made by almost all the speakers was about the capital punishment, about the death penalty, in the case of mutiny. I may submit that the same punishment as is prescribed in this Bill has been prescribed in both the Navy Act and the BSF Act also. In any case, the death penalty can be carried out only after the approval of the Central Government and not without it.

MR. Chairman, you also made one point about the customs maritime organization which is to be integrated with the Coast Guard organization...

MR. CHAIRMAN: The point made was whether the Coast Guard would also give protection to the fishermen from mechanized trawlers.

PROF. SHER SINGH: As I have said, within the territorial waters, it is a State subject; we can come only when the State Governments authorise us to do something; and whenever we are called upon to do it, we will do it. And the Agriculture Ministry, as I said, is also thinking of delimiting the fishing zones and also they have framed some rules...

MR. CHAIRMAN: That is the 20 km. territorial waters.

PROF. SHER SINGH: In fact within these territorial waters—it is for them to decide in consultation with the States—they may take some action about it and they could also ban these big trawlers functioning in that area. That can be done.

One point, Madam Chairman, you made was with regard to the Customs Marine Organization consisting of fast interceptors and shore work-shops. That is going to be amalgamated in the Coast Guard Organization. The terms and conditions under which the existing personnel of the Customs Marines are to be inducted into the Coast Guard Organization are yet

to be worked out between the two Departments. But the employees of this organization will no doubt get justice. That is the only thing that I can say about it.

One last question which was also raised by many members was with regard to the formation of trade unions and other associations. I might submit that it has been provided both in the Navy Act as also in the BSF Act that trade union activities and formation of associations for any political purpose or having any connection with political organizations are banned. They are banned for all para-military forces and the Coast Guard Organization, being a para-military force, we have to have this provision in this Bill also.

One point was made about the qualifications of the Chief Law Officer. I might submit for the information of the House that the qualifications laid down for the Chief Law Officer are the same as for the Judges of the High Court. So, he will not be an officer of a low status. He will be an officer of the status of a High Court Judge.

Madam, these were some of the points which were made. I again express my gratitude to all the Members who participated in this discussion and have welcomed this Bill.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the motion for consideration to the vote of the House. The question is:

"That the Bill to provide for the constitution and regulation of an Armed Force of the Union for ensuring the security of the maritime zones of India with a view to the protection of maritime and other national interests in such zones and for matters connected therewith, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now we shall take up clause-by-clause consideration.

There is an amendment by Dr. Ramji Singh for insertion of a new clause— clause 1A. Dr. Ramji Singh, are you moving your amendment?

Clause 1A (New)

DR. RAMJI SINGH (Bhagalpur): Yes, Madam Chairman, I beg to move: Page 1,—

after line 7, insert—

"1A. The constitution and regulations of Tat-Raksha-Vahini shall be on the pattern of Indian Navy." (5).

इस में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि (ए) में कोई दूसरा प्रच्छा सा नाम दिया जाना चाहिये। मैंने एक प्रच्छा नाम का प्रस्ताव उनके सामने किया है और चाहा है कि इसका नाम तट रक्षा वाहिनी रखा जाए। मैं समझता हूँ कि इस सुन्दर नाम को उनको स्वीकार कर लेना चाहिये।

यह ठीक है कि एक समय था जब समुद्र हमारी रक्षा करता था और हिमालय भी हमारी रक्षा करता था। लेकिन हिमालय घाज घाहत है और समुद्र की भी रक्षा करने की आवश्यकता हमारे सामने आ पड़ी है। 6083 किलोमीटर समुद्र तट हमारे पास है—

MR. CHAIRMAN: You please speak on the amendment. You want a change of the name. Please state why you want the change of the name.

डा रामजी सिंह : इसके सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसका नाम रखा वाहिनी कर दिया जाना चाहिये। यह नाम ज्यादा प्रचलित है। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यदि इसे सीधे भारतीय नौसेना के अन्तर्गत कर दिया जाए या इसको एक स्वतंत्र प्रतिष्ठान प्रदान किया जाए, जैसा उन्होंने किया भी है। लेकिन जो विधेयक उन्होंने रखा है यह न तो शुद्ध रूप से सैनिक कानून के अन्तर्गत है और न ही शुद्ध रूप से

MR. CHAIRMAN No, no, you are going into the merits of the Bill. Please speak on your amendment.

डा0 रामजी सिंह : सभापति महोदया, नाम की बड़ी महत्ता है। मैं समझता हूँ यह तो एक इतिहास में रह जायगा कि प्रच्छा नाम होगा। जिस तरह से बंगला देश की जब मुक्ति हुई तो मुक्ति वाहिनी बनी। इसी प्रकार से यह भी तट के जो स्वगर्लर्स हैं उनसे मुक्ति दिलाने के लिये यह वाहिनी होगी। इसलिये प्रवर मेरा संशोधन मंत्री जी को स्वीकार हो और इसको तट रक्षक वाहिनी मान लें तो इसमें उनको कोई नुकसान भी नहीं होता है और एक प्रच्छा नाम उनको मिल जाता है।

श्री 0 बोर सिंह : सभापति महोदया, यह प्रश्न कि इसका नाम क्या रखा जाय एक समिति के सुपुर्द हुआ। उसने सभी नामों पर विचार किया—भारतीय तट रक्षा गार्ड, तट रक्षा दल, तट रक्षा वाहिनी, सागर तट रक्षक कई नामों पर विचार हुआ और अन्त में यही सोचा कि कोस्ट गार्ड का नाम तट रक्षक रखें तो बही ठीक होगा। उसमें रक्षा वाहिनी करने की जरूरत नहीं है। इतना छोटा शब्द होगा जिसमें सारा अर्थ आ जाता है। इसलिये तट रक्षक नाम ही रखा है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह कृपा कर के इसको मान लें क्योंकि इस पर काफी विचार हुआ है और हमारी हिन्दी डायरेक्टोरेट और कमीशन फ़ॉर सार्वाट्रिक टेक्नीकल टर्मिनोलॉजी ने भी इस पर विचार किया।

जहां तक दूसरा उन्होंने सुझाव दिया है कोस्ट गार्ड को नेवी को तरह बनाया जाय और यह पैरा मिलिटरी फ़ॉर्स बन रही है। बी० ए० ए० ए० के कुछ ऐसे प्रोवीजन हैं, कुछ उसका रूप है और उसका भी ध्यान रखा गया है और नेवी का जो रूप है दोनों को मिला कर रखा गया है, क्योंकि इसका रूप केवल नेवी और केवल बी० ए० ए० ए० जैसा नहीं है। इसलिये विधेयक में बी० ए० ए० ए० और नेवी दोनों से ही कुछ प्रोवीजन लिये गये हैं। यह दोनों आवश्यक हैं।

MR. CHAIRMAN: Now we take up New clause 1A. There is an amendment—amendment No. 5—by Dr. Ramji Singh. Are you pressing?

DR. RAMJI SINGH: I withdraw my amendment.

Amendment No. 5 was, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: There are no amendment to clauses 2 to 13. I shall put them together.

The question is:

“That Clauses 2 to 13 stand part of the Bill”.

The motion was adopted.

Clauses 2 to 13 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: There are amendments by Shri D. B. Patil and Shri Amrut Kasar. They are not here. I shall put clause 14 to vote.

The question is:

“That Clause 14 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 14 was added to the Bill.

Clause 15 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: There is an amendment by Shri Yashwant Borole.

He is not here. I shall put Clause 16 to vote.

The question is:

“That Clause 16 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 16 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That Clauses 17 to 61 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clauses 17 to 61 were added to the Bill.

Clause 62 (Capture of deserters).

MR. CHAIRMAN: There is an amendment by Shri Anant Dave.

SHRI ANANT DAVE (Kutch): I move:

Page 17, line 21,—

for “without” substitute “with” (1).

सभापति महोदय, अपने प्रमैडमेंट के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे बड़ी ख़ुशी है कि समुद्र के किनारे जो स्मगलिंग होती है, उसको रोकने के लिये यह बिल लाया गया है। मैं जिस इलाके से आता हूँ वहाँ बहुत बड़ा समुद्र का किनारा है, वहाँ आज भी बहुत बड़ी स्मगलिंग चल रही है। इस बिल के बाद वहाँ कुछ कार्यवाही होगी, ऐसी मुझे आशा है, लेकिन आज दिन तक वहाँ कुछ नहीं हुआ है। वहाँ पर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये क्योंकि कच्छ में बहुत बड़ी मात्रा में स्मगलिंग चल रही है। 4,5 दिन पहले वहाँ एक बड़ा स्टीमर टूटा हुआ मिला है पता नहीं चल रहा है कि कहीं से आया और कहाँ जा रहा था और किस देश का था लेकिन यह जो बिल आया है, कई दिनों से कोस्ट गार्ड काम कर रहे हैं, तो अब यह काम होना।

इसमें कहा गया है—

“Any police officer may arrest without warrant”

मेरा प्रमैडमेंट यह है कि इसमें जो बिबधाउट वारन्ट है, यह नहीं होना चाहिये, बल्कि बिब-वारन्ट होना चाहिये। क्योंकि वहाँ अनपढ़ आदमी रहते हैं, उनको पता नहीं होगा कि इसमें क्या होगा, कई दिन तक तलाशी नहीं होगी, पुलिस के पास वारन्ट नहीं होगा वह ऐसे ही पकड़ लेगी तो एक लचकवा होगी। इसलिये मेरा कहना यह है कि यह बिब-वारन्ट होना चाहिये। वारन्ट के बिना किसी को भी नहीं पकड़ना चाहिये, ऐसा मेरा सुझाव है।

प्रो० शेर सिंह: माननीय सदस्य इसको पढ़ें, क्लॉज 62 डैजर्ट्स के लिये है। यदि शिप पर से भाग जायें और वह पकड़े जायें, तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं बाहर ही हाथ लगे और पुलिस अफसर देखें कि किसी के बारे में शक हो कि डैजर्टर है और वह वारंट लेने के लिये सब कार्यवाही करे, तो वह उसको पकड़ ही नहीं सकेगा। इसलिये ऐसे मामलों के लिये उसको प्रचौरिटी दी है। यह सी० एस० एफ० एक्ट में भी है। तो यह डैजर्ट्स के लिये है कि अगर उसके बारे में पता लगे कि बिना प्रचौरिटी के ट्रेवल कर रहा है और डैजर्टर है तो उसको उन्ही समय पकड़ा जा सके। इसीलिये यह पावर दी है।

मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य इसको वापिस ले लें तो बड़ी कृपा होगी।

MR. CHAIRMAN: Do you want to withdraw your amendment?

SHRI ANANT DAVE: I seek leave of the House to withdraw my amendment.

Amendment No. 1 was, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: The question

"That clauses 62 to 64 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 62 to 64 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Mr. Borole has an amendment. He is absent. So, there is no amendment to Clause 65.

The question is:

"That clause 65 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 65 was added to the Bill.

Clauses 66 to 71 were added to the Bill.

Clause 72 (Power of Criminal Court to require delivery of an offender)

SHRI ANANT DAVE: I move:

Page 19, line 17,—

for "Central Government" substitute—"Supreme Court" (2).

मैं मंत्री महोदय से एक और भी प्रार्थना करूंगा। मेरा जो पहला सुझाव था, वह मैंने वापिस ले लिया है। मैं रा जिला कच्छ बिल्कल बार्डर पर है, वहां से पाकिस्तान की सरحد बहुत नजदीक है। छोटे-छोटे फिशरमैन

को कोस्ट गार्ड परेशान न करे, ऐसा आश्वासन मिलना चाहिये। निदोष प्राधमी इससे परेशान न किये जायेंगे, मैं ऐसा आश्वासन चाहता हूँ।

मैं अपने इस प्रमोवमेंट के बारे में कहना चाहता हूँ कि जब क्रिमिनल कोर्ट का जूरिसडिक्शन हो और कोस्ट गार्ड का जूरिसडिक्शन हो तो इसमें दिया गया है कि यह क्वेश्चन सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगा, मेरा सुझाव है कि अगर यह सवाल पैदा हो जाये तो उसे सुप्रीम कोर्ट को रैफर कर दें। जिस किसी प्राधमी को पकड़ा जाये, उसे किसी भी कोर्ट में खड़ा कर बेल पर रिलीज कर देना चाहिए। इस क्लॉज के मुताबिक जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट यह तय नहीं करेगी कि कौन सी कोर्ट का जूरिसडिक्शन है, वह प्राधमी कोस्ट गार्ड की जूरिसडिक्शन में रहेगा, उस की जेल में रहेगा, भले ही वह बिना कारण पकड़ा गया हो। इस लिए कोर्ट की जूरिसडिक्शन का फ़ैसला करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को रैफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका जबाब बहुत समय तक नहीं प्रायेगा और इस से निदोष लोगों को बहुत परेशानी होगी। मैं चाहता हूँ कि ऐसे मामलो को सेंट्रल गवर्नमेंट के बजाये सुप्रीम कोर्ट को रैफर करना चाहिए और उस प्राधमी को बेल पर रिलीज कर देना चाहिए।

प्रो० शेर सिंह: यह सवाल जूरिसडिक्शन का नहीं है। जिस कोर्ट का जूरिसडिक्शन है, वही कह सकती है कि हम इस केस को ट्राई करेंगे, कोस्ट गार्ड वाले नहीं करेंगे अगर कोस्ट गार्ड के कब्जे में कोई ऐसा प्राधमी है, जिसने कानून तोड़ा है, जो क्रिमिनल है, तो कोर्ट उसको मांग सकती है। ऐसे प्राधमी की या तो कोस्ट गार्ड वाले ट्राई करेंगे, या जिस क्रिमिनल कोर्ट की जूरिसडिक्शन है, वह ट्राई करेगी। जूरिसडिक्शन दोनों का है, लेकिन सवाल यह है कि ट्राई कौन करे। अगर इस का फ़ैसला सेंट्रल गवर्नमेंट करे, तो ठीक रहेगा।

सब-क्लॉज (2) में लिखा है कि कौन सी कोर्ट ट्राई करे, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इस का डेटरमिनेशन न करे, तब तक कोस्ट गार्ड वाले उस को अपनी कस्टडी में रखें। अगर कोस्ट गार्ड की कोर्ट को उसे ट्राई करना है, तो मुजरिम उसके पास मौजूब है। अगर उसने ट्राई नहीं करना है, तो उस प्राधमी को क्रिमिनल कोर्ट के सामने पेश किया जायेगा। गवर्नमेंट इस बारे में क्लॉज बनायेगी और किसी प्रॉफ़ेसर को एचौरिटी देगी, जो जवहां फ़ैसला कर दिया करेगा। लेकिन इस बात को सुप्रीम कोर्ट को रैफर करने से मामला बहुत लंबा खिच जायेगा—सालों लग जायेंगे। इस दृष्टि से भी यह फ़ैसला करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहनी चाहिए कि किसी केस को कोस्ट गार्ड की कोर्ट ट्राई करे या क्रिमिनल कोर्ट करे।

श्री अनन्त दवे: मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे मामलों को जल्दी-पंद्रह बीस दिनों में—तय कर देगी।

प्रो० शेर सिंह: मैं इतना ही कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट ऐसे मामलों का फ़ैसला जल्दी से जफ़दी किया करेगी। पंद्रह या बीस दिन तो नहीं रखे जा सकते हैं।

SHRI ANANT DAVE: I seek leave of the House to withdraw my amendment No. 2.

Amendment No. 2 was, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: Now the question is:

"That Clause 72 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 72 was added to the Bill.

Clauses 73 to 114 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: There is an amendment by Mr. Borole. He has still not come. I will put to clause to vote.

The question is:

"That clauses 115 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 115 was added to the Bill.

Clause 116 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: There are three amendments in the name of Shri Borole. Still he has not come. So, they are not moved. I will put the clause to vote.

The question is:

"That clause 117 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 117 was added to the Bill.

Clauses 118 to 123 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

PROF. SHER SINGH: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill be passed."

Dr. Ramji Singh.

श्री रामजी सिंह : (भागलपुर) : सभापति महोदय, यह बहुत ख़री की बात है कि हमारे राज्य प्रति रक्षा मंत्री जी को यह तट रक्षक विधेयक प्रस्तुत करने का श्रेय मिला है। सचमुच में हमारा 6085 किलोमीटर का तट प्रायः असुरक्षित था और यही कारण था कि कच्चातिब द्वीप जो हमारा था उस से हमें वंचित होना पड़ा। यही नहीं, इस तट रक्षा के अभाव में ही हमें यह सुन कर के कितना आश्चर्य हुआ है कि विदेश के लोग हमारे देश के एक टापू में बहुत दिनों से बसे हुए थे और हमारी सरकार को और हम को पता भी नहीं था कि विदेशी यहाँ आ कर के बसे हुए हैं। लगता है कि सचमुच में हमारा तट बहुत असुरक्षित था। इसीलिए इस तट रक्षक विधेयक का पहला काम तो यह होगा कि जो हमारा विस्तीर्ण समुद्र तट करीब करीब 5 हजार मील का फीला हुआ है वह सुरक्षित होगा और अब सरकार यह नहीं कह सकेगी कि चूँकि हमारे पास कोई साधन नहीं था, कोई उपकरण नहीं था इसलिए यह असुरक्षित है, अब सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी होगी और इस तरह की कोई भी घटना होगी तो उस के लिए सरकार को पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी।

दूसरा जो शुभ उद्देश्य इस विधेयक का है वह यह है कि हमारे जो मछली मारने वाले लोग हैं उन को भी सुरक्षा दी जाय। वस्तुतः तीन करोड़ लोग मछली पालन पर भारतवर्ष में लगे हुए हैं और वे 75 प्रतिशत समुद्र में ही मछली पालन करते हैं। यह मालूम ही है कि मछली मारने वालों को बहुत बड़े बड़े डालस तंग किया करते हैं। बंगाल की खाड़ी में जापान और फिलिपाइन से भी लोग बड़े बड़े जहाज ले कर के मछली पकड़ने के लिए आते हैं और इस से हमारे छोटे छोटे मछेरों की जीविका पर काफी नुक़ाब पड़ता है। इसीलिए इस तट रक्षक विधेयक का एक उद्देश्य यह भी होगा कि ये मछली मारने वाले छोटे छोटे मछेरे हैं उन की सुरक्षा की जाय और जो बड़े लोग उन को तंग करते हैं उन से उन को बचाया जाय, खास कर के मरटी-नेशनल्स से तां बहुत होशियार रहना चाहिए। मरटी नेशनल्स को जितनी उन की लाइसेंसिंग कमेसिटी है उस से ज्यादा मछली न मारने दी जाय और बिलकुल नजदीक आ कर के भी वे मछली नहीं मारें ताकि उन के द्वारा छोटे छोटे लोगों की जीविका पर आघात न पहुँचे। यहाँ भी लघु उद्योग और बड़े उद्योग का संबंध है। जो बड़े बड़े जहाज हैं, बड़े बड़े डालस हैं वे दूर जा कर मछली मार सकते हैं। छोटी दूरी पर तो छोटी छोटी गाँवों को ही जाना चाहिए और जिस तरह से हम लोगों ने उद्योग में लघु उद्योग को बड़े उद्योगों से संरक्षण दिया है इसी तरह यहाँ भी जो छोटे छोटे मछेरे हैं उन को हमें संरक्षण देना चाहिए। तट रक्षक विधेयक का यह दूसरा उद्देश्य है।

14.35 hrs.

[Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

तीसरा उद्देश्य तट रक्षक विधेयक का यह है कि जो हाजी मस्तान और युसुफ पटेल तथा उनके लगे बने लोगों के द्वारा बहुत बड़ी तस्करी होती रही है समुद्र के रास्ते, उस पर भी रोक लगाई जाये। यह तो मामूख ही है कि हिन्दुस्तान में तस्करी बहुत ज्यादा होती है। अभी भी तस्करी बिल्कुल बन्द नहीं हुई है और ज्यादा से ज्यादा तस्करी समुद्र की मार्फत होती है। कहा जाता है कि कस्टम डिपार्टमेंट का इन लोगों से मेल-जोल रहना है। कस्टम डिपार्टमेंट को आप उतना दोष नहीं दे सकते, अब तो कस्टम डिपार्टमेंट और तट रक्षक, दोनों मिल कर काम करेंगे इसलिए कहीं ऐसा न हो कि दोनों मिल करके सामेदारी में समूचे देश की तस्करी को और बढ़ाते जायें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज समुद्र में तस्करी की दस नावें फ्रांती हैं तो उनमें से एक नाव को कस्टम पकड़ लेता है और 9 को छोड़ देता है। इसीलिए सभी तटवर्ती गाहरों में तस्करी का माल काफी पाया जाता है। इसलिए कोस्ट गार्ड में अगर अनुशासन का ध्यान नहीं रखा जाएगा, यदि उनमें कड़े से कड़ा अनुशासन नहीं रखा जाएगा तो यह भी भ्रष्ट हो जायेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि या तो इनको फ्रांसी डिप्लिन्ड में रखा जाए क्योंकि फ्रांसी में सचमुच में भ्रष्टाचार का कम से कम स्थान है इसलिए या तो आप इसको फ्रांसी के डिप्लिन्ड में दे बरना सिविल साइड में कस्टम के साथ देंगे तो वहां पर भ्रष्टाचार का प्रवेश हो जाएगा और जो सेना सचमुच में पवित्रता के लिए, देश-भक्ति के लिए प्रख्यात है वहां पर भी भ्रष्टाचार की गंगोत्री का प्रवेश करा देंगे। मैं चाहूंगा हमारे राज्य प्रतिरक्षा मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे। जैसा कि पुलिस के बारे में कहा जाता है कि दस पैसे भी ले लेती है उसी तरह की बात कहीं यहां पर भी न हो जाए—इस बात को शुरू से ही ध्यान में रखा जाना चाहिए। आप एक घण्टी शुरूआत करने जा रहे हैं इसलिए इसके रेकूटमेंट, डिप्लिन्ड ट्रेनिंग और प्रार्थनाइजेशन बिल्कुल सज्ज होना चाहिए ताकि पैरा मिलिट्री बी०एस०एफ० और सी०आर०पी० की लाइन पर इसको आप रख सकें तथा भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे बर्ना न तो फिर आपकी स्मगलिंग रहेगी और न ही छोटे छोटे मछरों को बड़े बड़े ट्रांस से संरक्षण मिल सकेगा।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा। इसमें इन्होंने मृत्यु दण्ड का प्रावधान रखा है। मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम गांधीवादी निष्ठा को स्वीकार करते हैं तो मृत्यु दण्ड की व्यवस्था को यहां से उठा लेना चाहिए। आप कह सकते हैं कि किसी ने बहुत हीनियस काइम किया हो उसके लिए होना तो उसके लिए आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा रख सकते हैं। आज विश्व के दर्जनों देशों में मृत्यु दण्ड की सजा को उठाया जा

रहा है तब 1978 में अगर हम मृत्यु दण्ड का प्रावधान लायें, यह बात कोई शोभा नहीं देती है और न ही जनता पार्टी की उद्घोषित गांधीवादी निष्ठा से मेल खाती है। इसलिए मैं राज्य प्रतिरक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि इस सम्बन्ध में बे पुनः विचार करें।

एक चीज और भी है। आपने इसमें लोगों को ट्रेड यूनियन राइट्स नहीं दिए हैं। यदि आप इसको सैनिक संगठन बनाते हैं तब तो ठीक है, आप उनको ट्रेड यूनियन राइट्स न दें लेकिन अगर इसको आप एक बाया मीडिया बनाते हैं तब ट्रेड यूनियन राइट्स आपको देने ही चाहियें। मैं धाका करता हूँ कि आप इन बातों पर विचार करेंगे और शुरू से ही इस तट रक्षक विधेयक को लागू करने के लिए पूरी सतर्कता बरतेंगे। इन्हीं मन्त्रों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री० शेर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न डा० रामजी सिंह जी ने उठाये हैं उनमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मैं दे चुका हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि तटरक्षक विधेयक जो हमारा पारित होने जा रहा है, हमारे देश के इतने लम्बे तट की रक्षा के लिए हम उनको कानून बनाकर अधिकार दे रहे हैं उसमें जरूर इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि तटरक्षक अधिनियम के नीचे जो हमारी फोर्स बन रही है वह तस्करी को रोकने के लिए भी भरसक प्रयत्न करेगी और जो भी ट्रांसलै पकड़े जायेंगे, बाहर के या अन्दर के उनके ऊपर सख्त से कार्यवाही करेगी। जैसा आपने कहा यह सेना की तरह एक डिप्लिन्ड फोर्स होगी। इसलिए नैवी एक्ट और बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट दोनों में से बहुत से प्रावधान लिए गए हैं।

तटरक्षकों के लिए बहुत से नियम ऐसे होंगे जो हमारी जल सेना के हैं, कुछ ऐसे होंगे जो बी० एस० एफ० के हैं। लेकिन बहुत कड़े अनुशासन के अन्दर उनको रखा जाएगा। जो हमारे देश में करोड़ों मछली पकड़ने वाले भाई हैं, उनको कहीं कोई कष्ट या तकलीफ किसी कारण से होगी तो उनकी पूरी सहायता की जाएगी। टैरिटरियल वाटर जिन के ऊपर स्टेट सरकारों का अधिकार है उसके बारे में भी कृषि मंत्रालय को विश्वास कर रहा है कि फिशिंग बॉज का डिप्लिमेंटेशन कर दिया जाए, परिसीमन कर दिया जाए। साथ ही ऐसे भी कोई नियम बना दिए जायें कि बड़े ट्रांस, छोटे हमारे मछली पकड़ने वाले जो करोड़ों की संख्या में भाई हैं उनको तंग न कर सकें। बल्कि कुछ हिस्सा उनके लिए सुरक्षित करने की बात भी अगर सोची जाए तो वह भी बहुत अच्छा रहेगा। मेरी सूचना है कि कृषि मंत्रालय इस प्रकार का एक विधेयक इस सदन में लाने वाला है, इस पर विचार चल रहा है, राज्य सरकारों से भी उनकी बात हो रही है। इस तरह मछली पकड़ने वाले जो लोग हैं छोटे और जो करोड़ों की तादाद में हैं उनकी मदद के लिए बी और तस्करी रोकने के लिए भी और छः हजार से अधिक किलोमीटर

[श्री० वीर सिंह]

जो हमारा समुद्री तट है, सीमित साधन होते हुए भी, जहाँ तक सम्भव होगा उसकी सुरक्षा के लिए भी, तथा समुद्र के नीचे जो सम्पत्ति है जो हमारे छोटे छोटे लोग सी में काम करते हैं उनकी देख-भाल करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए देश की सुरक्षा के लिए ये लोग अपना दायित्व ठीक तरह से निभायेंगे, इतना मैं आश्वासन दिलाता हूँ।

SHRI VAYALAR RAVI: Every Member spoke about death penalty. At least you must have one agency. In BSF you have it. Why have you not expressed any opinion on what you think. It is not a judicial body. It is a two member court.

PROF. SHER SINGH: It is a very wide question. It cannot be tackled just at this level, whether we are going to abolish capital punishment. But in this case it has been provided only for mutiny. Government will have powers to commute. It is only with the final sanction of the government that this punishment will be imposed; otherwise not.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

14.42 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE. DIS-APPROVAL OF DELHI POLICE ORDINANCE, 1978 AND DELHI POLICE BILL

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN (Coimbatore): I beg to move:

"That this House disapproves of the Delhi Police Ordinance, 1978 (Ordinance No. 2 of 1978) promulgated by the President on the 1st July, 1978".

I had already at the time when the Ordinance was placed on the Table of the House expressed my opposition to it. The very concept that is behind the Ordinance, behind the Bill is repugnant to the concept of the rule of law; it also stands discredited by the

living experience of our people because we have seen how during the period of emergency particularly with even the limited powers that the police have, what excesses they could commit. There was no redress for the grievances that were there against the police till now. There are many cases still pending to be settled. That is why the Delhi Committee of the Communist Party of India at the time when the ordinance was being talked about, when a Select Committee was there in the Metropolitan Council, presented a memorandum to the Council and also to the Prime Minister in which they made it absolutely clear:

"To begin with we may be permitted to state that the institution of police commissioner owes its origin to the need felt by the British Imperialists rule to devise a system of police administration which could ensure perfect safety for their tribe in the three major urban strongholds (Bombay, Calcutta and Madras) occupied and used by them as springboards for rapid expansion of their empire. The idea evidently was to facilitate ruthless use of punitive force, unfettered by any considerations of legality, in order to enforce abject submission on the part of the colonial subjects. A system designed *ab initio* to dispense with any discreet or judicious use of coercive/punitive State machinery against the people should not. You would agree, be allowed to have a place in the scheme of any administration which lays claim to being a defender of the democratic and fundamental rights of the people."

Therefore, it is in this background that the ordinance was passed and the Bill, which really gives draconian powers to the police, is now before the House. Nobody denies that in Delhi today the law and order situation is very serious. But this is not the answer to it. Action has to be taken by the Government and by the elected representatives to give protection to the civilian general public. For that action, there is enough that can be